संख्या-99/2025/2103/22-2-2023-17(870)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद कुमार बाजपेई उर्फ बब्लू पुत्र शम्भू दयाल, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक 13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद कुमार बाजपेई उर्फ बब्लू पुत्र शम्भू दयाल, ग्राम-शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, वर्तमान निवासी-लोनियन पुरवा, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक, कांता, बांका से मारकर 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-258/2007, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 452 में मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनाँक 21.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 25.02.2021 तक 14 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 01 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 25.02.2021 तक बन्दी की आयु 41 वर्ष 06 माह 00 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप में प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः की घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक नही है, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी प्रमोद कुमार बाजपेयी उर्फ बब्लू पुत्र श्री शम्भू दयाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर प्रोबेशन बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक, कांता, बांका से मारकर 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रमोद कुमार बाजपेयी उर्फ बब्लू पुत्र श्री शम्भूदयाल की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद कुमार बाजपेई उर्फ बब्लू (बन्दी संख्या-48395) पुत्र शम्भू दयाल, ग्राम-शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, वर्तमान निवासी-लोनियन पुरवा, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑ.न प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-99/2025/2103(1)/22-2-2023-17(870)/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-99 /2025/2103/22-2-2023-17(870)/2023

दिनांकः 30 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद कुमार बाजपेई उर्फ बब्लू पुत्र शम्भू दयाल, ग्राम-शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, वर्तमान निवासी-लोनियन पुरवा, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक, कांता, बांका से मारकर 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-258/2007, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 452 में मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनाँक 21.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 25.02.2021 तक 14 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 01 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 25.02.2021 तक बन्दी की आयु 41 वर्ष 06 माह 00 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप में प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः की घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक नही है, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी प्रमोद कुमार बाजपेयी उर्फ बब्लू पुत्र श्री शम्भू दयाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर प्रोबेशन बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक, कांता, बांका से मारकर 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रमोद कुमार बाजपेयी उर्फ बब्लू पुत्र श्री शम्भूदयाल की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।